



आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय

ज्ञान परिसर, मीठापुर, पटना-800 001

दूरभाष:-0612-2351919, ई-मेल:-akuniv10@gmail.com

Ref. No. 006/Akuni/182/AKU/2018-4463

Date: 21/11/2019

११

From,

The Registrar,
Aryabhatta Knowledge University,
Patna-800 001.

To,

The Chairman/Secretary/ Director,
Shri Ram Institute of Medical Sciences,
Fatehpur Bypass Road, Siwan – 841226 (Bihar)

Subject :- Provisional affiliation for the academic session 2019-20 for Paramedical Courses.

Sir,

It has reference to your proposal regarding granting provisional affiliation for the session 2019-20 your institute for paramedical courses. On the basis of the report of the Inspection team (which visited your institute on 23-09-2019) and as per the recommendations of Statutory Bodies of the University. Your institute is granted the provisional affiliation (for One year) for the academic session 2019-20 for following Paramedical courses with intake as mentioned:-

Sl.No.	Name of Branch	Intake
1.	Bachelor in Medical Laboratory Technology	40 Seats
2.	Bachelor in Radio Imaging Technology	40 Seats
3.	Bachelor in Operation Theatre Technology	40 Seats
4.	Bachelor in Physiotherapy	40 Seats

Your institute is granted provisional affiliation to Aryabhatta Knowledge University, Patna on the following terms & conditions:-

1. Provisional affiliation is presently for one year only for the academic session 2019-20.
2. The Provisional affiliation is based upon the No Objection Certificate accorded to your institute by Department of Health, Govt. of Bihar vide letter No. 101/2014&934/41/2@LokEJ iVuk, dated 23-08-2018.
3. This provisional affiliation is subject to the condition of deposit of Endowment Fund of Rs. 10,00,000/- (Ten Lakh only) in any Nationalized/scheduled bank branch as Fixed Deposit in the name of College and the said FD will be pledged in favour of the Registrar, Aryabhatta Knowledge University, Patna. A Xerox copy of the FD document attested by the Principal of the college will be sent to the University by means of a letter within a week from the date of receipt of this letter, failing which this letter will automatically be treated as withdrawn.
4. This provisional affiliation is subject to attending all the deficiencies/ Shortcomings/ advices/ suggestions/ remarks pointed out by the Inspection team in its report dated 23-09-2019 (copy attached) and to inform the university through affidavit about the removal of all the deficiencies and fulfilment of other conditions as pointed out in the inspection report under reference within a period of 60 (Sixty) days.
5. The University may inspect your college at any working day without information.
6. All minutes of Governing Body should be submitted to office of Aryabhatta Knowledge University, Patna at the earliest.
7. When any vacant post will be filled by the college/institute, University representative should be invited. Any appointments must be done in presence of University representative.

Planned

Aayan Contd....



आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय

ज्ञान परिसर, मीठापुर, पटना-800 001

दूरभाष:-0612-2351919, ई-मेल:-akuniv10@gmail.com

8. College is requested to submit the residential address proof, Adhar card along with mobile number of all teaching & non teaching employee.
9. Provisional affiliation has been granted in anticipation of approval of the Court, Aryabhatta Knowledge University, Patna.
10. Provisional affiliation shall not take effect unless it is approved by the State Government.
11. Rules/regulations etc. regarding syllabus and conduct of examinations shall be communicated after all the conditions for provisional affiliation is met with by your institute to the full satisfaction of the University.
12. Failing the above terms & conditions, this letter will be automatically treated as withdrawn. In such case no further correspondence shall be entertained.

Encl.: As above.

By order of the Vice-Chancellor

Yours faithfully,

Registrar(I/C)

Aryabhatta Knowledge University

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

शुद्धि-पत्र

स्वास्थ्य विभागीय अधिसूचना संख्या-934(1) दिनांक-23.08.2018 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा श्री राम रुरल वेलफेयर एजुकेशनल सोसाइटी द्वारा संचालित श्री राम इन्स्टीच्यूट ऑफ मेडिकल साईंसेज, फतेहपुर बाई पास रोड, फतेहपुर, जिला-सिवान को कतिपय पाठ्यक्रमों में मान्यता प्रदान करते हुए वर्ष-2021 तक कोर्स संचालन की अनुमति प्रदान की गई है।

2- विभागीय अधिसूचना संख्या-934(1) दिनांक-23.08.2018 में अंकित कंडिका-2(क)-6 को संशोधित रूप से निम्नरूपेण पड़ा जाय-

क्र०सं०	पाठ्यक्रम	स्वीकृत सीट
6	डिप्लोमा इन मेडिकल रेडियोग्राफी (DMR)	30 (तीस)

3- स्वास्थ्य विभागीय अधिसूचना संख्या-934(1) दिनांक-23.08.2018 को इस हद तक संशोधित समझा जाय।

4- स्वास्थ्य विभागीय अधिसूचना संख्या-934(1) दिनांक-23.08.2018 की शेष शर्तें पूर्ववत् रहेंगी।

संजय/१०/१४
(कौशल किशोर)

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक:-1/पा०मे०-०१/२०१४-1332(०) /स्वा०, पटना, दिनांक-28/11/2018

प्रतिलिपि:- अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना-7 को सी०डी० कॉपी के साथ सूचनार्थ एवं बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक के प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- कुल सचिव, आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय, चाणक्या राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय कैम्पस, मीठापुर बस स्टैंड के नजदीक, मीठापुर, पटना-800001 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- डा० नवल किशोर पाण्डेय, सचिव, श्री राम रुरल वेलफेयर एजुकेशनल सोसाइटी द्वारा संचालित श्री राम इन्स्टीच्यूट ऑफ मेडिकल साईंसेज, श्री राम एम०आर०आई० स्कैन सेन्टर, फतेहपुर बाईपास रोड, पो०-फतेहपुर, जिला-सिवान-841228 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- मा० मंत्री, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/संयुक्त सचिव (प्रभारी प्रशाखा-1), स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/परीक्षा नियंत्रक, बिहार पारा मेडिकल/पारा डेन्टल एक्जामिनेशन कमेटी, नालन्दा मेडिकल कॉलेज कैम्पस, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- प्रशाखा पदाधिकारी-1 एवं संबंधित सहायक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संजय/१०/१४
सरकार के संयुक्त सचिव

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

सं0सं0-1/पा0मे0-01/2014-834(1) /स्वा0, पटना, दिनांक-23/8/2018
स्वास्थ्य विभागीय अधिसूचना संख्या-1028(1) दिनांक-31.12.05 द्वारा आख्यापित
बिहार पारा मेडिकल/पारा डेंटल शिक्षण (संस्थानों की स्थापना हेतु अनुमति) नियमावली,
2005 में निहित प्रावधान के आलोक में विभागीय अधिसूचना सं0-01(1) दिनांक-
01.01.2016 द्वारा श्री राम रुरल वेलफेयर एजुकेशनल सोसाइटी द्वारा संचालित श्री राम
इन्स्टीच्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, फतेहपुर बाई पास रोड, फतेहपुर, जिला-सिवान को
विभिन्न 7 (सात) विषयों में पूर्णतः अस्थायी तौर पर वर्ष-2017 तक के लिए पारा मेडिकल
पाठ्यक्रम संचालित करने की मान्यता अवधि विस्तार प्रदान किया गया था।

(2) उक्त क्रम में विभागीय आदेश संख्या-585(1) दिनांक-26.05.2018 द्वारा
गठित जाँच समिति से प्राप्त प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आलोक में श्री राम रुरल वेलफेयर
एजुकेशनल सोसाइटी द्वारा संचालित श्री राम इन्स्टीच्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज,
फतेहपुर बाई पास रोड, फतेहपुर, जिला-सिवान को -

(क) निम्न पारा मेडिकल डिप्लोमा/सर्टिफिकेट पाठ्यक्रमों में मान्यता प्राप्त सीटों
के लिए वर्ष-2021 तक अवधि विस्तार की अनुमति, अंकित शर्तों के अधीन, प्रदान की
जाती है-

क्र0सं0	पाठ्यक्रम	स्वीकृत सीट
1	डिप्लोमा इन फिजियोथेरापी-(DPT)	30 (तीस)
2	डिप्लोमा इन ऑपरेशन थियेटर असिस्टेंट (DOTA)	50 (पचास)
3	डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन (DMLT)	50 (पचास)
4	डिप्लोमा इन सेनिटरी इन्स्पेक्टर (DSI)	30 (तीस)
5	डिप्लोमा इन ई0सी0जी0 टेक्नीशियन (DECG)	30 (तीस)
6	डिप्लोमा इन मेडिकल रेडियोग्राफी (DMR)	20 (बीस)
7	सर्टिफिकेट इन मेडिकल ड्रेसर (CMD)	40 (चालीस)

(ख) निम्न ब्रीज कोर्स/डिग्री पाठ्यक्रम संचालन हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र,
अंकित शर्तों के अधीन, प्रदान किया जाता है-

- (1) बैचलर इन फिजियोथेरापी (बी0पी0टी0) - 40 (चालीस) सीट
- (2) बैचलर इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी (बी0एम0एल0टी0)-40 (चालीस) सीट
- (3) बैचलर इन ऑपरेशन थियेटर टेक्नोलॉजी (बी0ओ0टी0टी0)- 40 (चालीस) सीट
- (4) बैचलर इन रेडियो इमेजिंग टेक्नोलॉजी (बी0आर0आई0टी0)-40 (चालीस) सीट

(3) स्वास्थ्य विभागीय अधिसूचना संख्या-1028(1), दिनांक-31.12.05 द्वारा
आख्यापित बिहार पारा मेडिकल/पारा डेंटल शिक्षण (संस्थानों की स्थापना हेतु अनुमति)
नियमावली, 2005 में निर्धारित शर्तों का अनुपालन श्री राम रुरल वेलफेयर एजुकेशनल
सोसाइटी द्वारा संचालित श्री राम इन्स्टीच्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, फतेहपुर बाई पास
रोड, फतेहपुर, जिला-सिवान के द्वारा किया जायेगा।

(4) संस्थान संबंधित विश्वविद्यालय से affiliation प्राप्त करने के उपरान्त ही डिग्री पाठ्यक्रमों में नामांकन लेगी।

(5) संस्थान अपने कार्यरत सभी फैंकल्टी/कर्मियों के वेतन का भुगतान आधार सीडेड बैंक एकाउण्ट के माध्यम से किया जाना सुनिश्चित करेगी।

(6) सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत नियम/परिनियम का पालन संस्थान द्वारा अनिवार्य रूप से किया जायेगा।

(7) भविष्य में संस्थान के विरुद्ध कोई आपत्तिजनक बात जाँचोपरान्त पाई जायेगी तो वैसी स्थिति में सरकार संस्थान की मान्यता वापस ले लेगी।

(8) सरकार द्वारा पारा मेडिकल विधियों में निर्गत किये जाने वाले प्रमाण-पत्र पर सरकार द्वारा मनोनीत सदस्य का हस्ताक्षर प्राप्त करना होगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(विदेकानन्द ठाकुर)

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापक:-1/पा0मे0-01/2014-93410 /स्वा0, पटना, दिनांक-23/8/2018

प्रतिलिपि:- अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना-7 को सी0डी0 कॉपी के साथ सूचनार्थ एवं बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक के प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- कुल सचिव, आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय, चाणक्या राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय कैम्पस, मीठापुर बस स्टैंड के नजदीक, मीठापुर, पटना-800001 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- डा0 नवल किशोर पाण्डेय, सचिव, श्री राम रुरल वेलफेयर एजुकेशनल सोसाइटी द्वारा संचालित श्री राम इन्स्टीच्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, श्री राम एम0आर0आई0 स्कैन रोन्टर, फतेहपुर बाईपास रोड, पो0-फतेहपुर, जिला-सिवान-841228 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- गा0 मंत्री, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/संयुक्त सचिव (प्रभारी प्रशाखा-1), स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/परीक्षा नियंत्रक, बिहार पारा मेडिकल/पारा डेंटल एग्जामिनेशन कमिटी, नालन्दा मेडिकल कॉलेज कैम्पस, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- प्रशाखा पदाधिकारी-1 एवं संबंधित सहायक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव